छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक–एफ–4–110/सात–1/2016 नया, रायपुर दिनांक 26 नवम्बर, 2016 29 NOV 2016

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय को भूमि हस्तांतरण करने के संबंध में ।।

–0–

सचिव, कृषि विभाग के द्वारा अपने नोटशीट टीप क्रमांक 5936 दिनांक 25.11.2016 के माध्यम से यह सूचित किया गया है, कि इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रदेश के सभी जिलों में 50–50 एकड़ शासकीय भूमि आबंटन की मांग की गई है । उक्त मांगपत्र के विरूद्व जिला कलेक्टरों के द्वारा भूमि कृषि विभाग को हस्तांतरित किया जा रहा है । इससे भारत सरकार से कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है । अतः उनके द्वारा यह मांग की गई है, कि भूमि का आबंटन इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय को किया जाये ।

2. इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय शासन के कृषि विभाग के अधीन स्थापित संस्था है तथा उन्हें शासकीय प्रयोजन के लिये निःशुल्क भूमि आबंटन की पात्रता है । शासन के अधीन संस्था होने से उन्हें भूमि आबंटन का अधिकार जिला कलेक्टरो को पूर्व में ही दिये गये है ।

3. अतः यह निर्देशित किया जाता है, कि इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा किये गये भूमि आबंटन की मांग के आधार पर उन्हें सीधे भूमि आबंटन की कार्यवाही करें ।

(के.आर.पिस्दा) 26/11/2016
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक–एफ–4–110/सात–1/2016 नया, रायपुर दिनांक नवम्बर, 2016 29 NOV 2016

प्रतिलिपिः

सचिव, छ.ग.शासन, कृषि, एवं पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर को उनकी नोटशीट टीप दिनांक 25.11.2016 के तारतम्य में, की ओर सूचनार्थ ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन 26/11/2016
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग